UTTARAKHAND

Office of The Executive Engineer
Provincial Division, PWD,
Nainital

Letter No. 706/EE Camp

Date:-05-05-2015

Authority Letter

Mr. Pankaj Rai, Assistant Engineer, Provincial Division, PWD, Nainital is hear authorized for online submission of Forest Proposal on behalf of Public Work Deparment (User Agency)

05/05/15

(S.K. Garg)
Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Nainital

Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परिशिष्ट

प्रपत्र – 2 (देखिये नियम 6)

फार्म – क

सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्ण अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1
(प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण । लम्बाई 5.50 किमी0।

(i) आपेक्षित वन भूमि के लिए
प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :– जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण । लम्बाई 5.50 किमी0 चौडाई 9.00 मी0।

(ii) 1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र : मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

(iii) परियोजना की लागत : रू0 178.00 लाख

(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :– मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

(v) लागत लाभ विश्लेष्ण (संलग्न किए जाने के लिए) :– आवश्यकता नहीं है।

(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :– 100 लोगो को अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।

2 कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :– आरक्षित वन भूमि 3.240 है0 (नैनीताल वनप्रभाग)
1.530 है0 (रामनगर वनप्रभाग)
सिविल वन भूमि 0.090 है0 ~~(रामनगर वनप्रभाग)~~ बोहरा गाँव
कुल वन भूमि 4.860 है0

3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण , यदि कोई है।

(i) परिवारों की संख्या — कोई नहीं।

(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या — कोई नहीं।

(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) —

4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं) :– नहीं

5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न की जाए) :– वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न है।

6 निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रो/ दस्तावेजो का ब्यौरा :– सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अमिन	कनिष्ट अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र
मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सडक निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) (8)

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	नैनीताल
iii)	वन प्रभाग	नैनीताल वनप्रभाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	3.240 है0+0.09 है0 सि0 = 3.33 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन क्षेत्र/सिविल
vi)	हरियाली का घनत्व	0.6
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	वृक्षों की सूची संलग्न है
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न है
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वनसीमा के अन्तर्गत
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण सें अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। संलग्न

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। संलग्न

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। रु० 4,37,464=00

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

खण्ड का नाम :— प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल

कार्य का नाम :— जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधूरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

लम्बाई :— 5.500 किमी0।

वन भूमि का विवरण

आरक्षित वन भूमि	
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	3.240 है0
रामनगर वन प्रभाग रामनगर	1.530 है0
सिवल वन भूमि बोहरागॉव	0.090 है0
वन पंचायत	
नाप भूमि	
कुल भूमि	**4.860 है0**

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips